**उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल**

**ए. ओ. नम्बर 39 वर्ष 2018**

**<u>जिलाः देहरादून</u>**

1-इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1-श्रीमती. सरस्वती देवी और अन्य ..... प्रतिवादी

**याचिकाकर्ता के अधिवक्ताः** सर्वेश अग्रवाल **प्रतिवादी अधिवक्ताः**

**<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल</u>**

**<u>आदेश सं. 39 वर्ष 2018</u>**

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती. सरस्वती देवी और अन्य ....प्रतिवादी

श्री सर्वेश अग्रवाल, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री विकास बहुगुणा, अधिवक्ता, प्रतिवादी 1 से 5 तक।

श्री अंकुरित राज डेविड, प्रतिवादी नं.10 के लिए.

**<u>माननीय लोकपाल सिंह, जे</u>.**

वर्तमान अपील को MACP. नं. 155 वर्ष 2013, श्रीमती सरस्वती देवी और अन्य बनाम मनोज कुमार और अन्य में विद्वान MACT./IInd अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 19.09.2017 के फैसले के विरुद्ध प्राथमिकता दी गई है, जिनके द्वारा रु. 20,26,966/- मुआवजे के रूप में ब्याज के साथ, साथ, निचली न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता पर 60% देयता तय की गई है।

2. चूंकि विलम्ब माफी आवेदन पत्र अपील और शपथ पत्र के समर्थन मे 05.01.2018 को तैयार किया गया था और अपील को प्राथमिकता तत्काल आवेदन के साथ 31.01.2018 की छुट्टियों के दौरान दी गई है, इससे यह पता चलता है कि अपील दायर करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए हैं, इसके बावजूद अपील तैयार की गई है और 05.01.2018 को शपथ पत्र दिल्ली में सत्यापित किया गया था। 31.01.2018 को अपील दायर की गई है, 39 दिनों की विलम्ब का उल्लेख किया गया। आवेदन दायर करने के पश्चात आवेदन और शपथ पत्र पर सुधार न्यायालय के समक्ष किया गया है। अपील दायर करने में विलम्ब का विवरण 05.01.2018 से 30.01.2018 तक का बिल्कुल भी नहीं दिया गया है।

3. अपीलकर्ता अपील दायर करने में विलम्ब का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है, क्योंकि 05.01.2018 से 31.01.2018 की अवधि के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विलम्ब के संबंध में आवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है और इस अवधि के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है। यह राशि होगी कि इस अवधि के लिए विलम्ब की माफी के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया है, इस प्रकार 05.01.2018 से 31.01.2018 की अवधि के लिए विलम्ब की माफी के लिए आवेदन की अनुपस्थिति में में। यह न्यायालय बिना किसी आवेदन के विलम्ब क्षमा नहीं कर सकता है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बसावराज और एक अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 2013 (14) एस. सी. सी. 81 के मामले में रिपोर्ट किया है कि** जब तक विलम्ब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता है, तब तक विलम्ब को माफ करना उचित नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त अपास्त कर दिया जाता है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी और अन्य की प्रबंध समिति** 2013 (12) एस. सी. सी. 649 के मामले मे रिपोर्ट की, कि विधि के कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए हैं और यह अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन को ठीक से समझाया जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक चिंता के साथ मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, न कि इस धारणा को आश्रय देते हुए कि न्यायाधीशालयों को इस सिद्धान्त के आधार पर विलम्ब क्षमा करने की आवश्यकता है कि गुण-दोष के आधार पर निर्णय, न्यायाधीश वितरण प्रणाली के लिए मौलिक है। फिर, विलम्ब की माफी के लिए आवेदन को व्यक्तिगत दर्शन के आधार पर नियमित तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए जो मूल रूप से व्यक्तिपरक है।

6. इस न्यायालय का विचार है, क्योंकि विलम्ब माफी आवेदन के समर्थन में अपील और शपथ पत्र 05.01.2018 को तैयार की गई और अपील को 31.01.2018 की छुट्टियों

के दौरान तत्काल आवेदन के साथ प्राथमिकता दी गई है, यह पता चलता है कि अपील दायर करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा निष्ठा से प्रयास नहीं किए गए हैं, इसके बावजूद अपील तैयार हो गई और 05.01.2018 को दिल्ली में शपथ पत्र सत्यापित किया गया था। अपील दायर करने की सीमा 21.12.2017 तक थी। अपील और विलम्ब माफी आवेदन 05.01.2018 को तैयार किया गया था। अपील 31.01.2018 को दायर की गई है। 05.01.2018 से 31.01.2018 की अवधि के लिए विलम्ब की माफी की मांग नहीं की गई है, जो विलम्ब माफी आवेदन को दाखिल न करने के बराबर होगी। लिखित आवेदन और अपील दायर करने में विलम्ब क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण शर्त पूर्व निर्णयवर्ती है।

7. चूंकि अपील दायर करते समय विलम्ब की अवधि 06.01.2018 से 31.01.2018 के लिए माफी का आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। यह माना जाएगा कि विलम्ब की माफी के लिए कोई आवेदन नहीं है। ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, 39 दिनों के विलम्ब की माफी के लिए आवेदन 21.12.2017 से 05.01.2018 तक खारिज होने योग्य है। इसके द्वारा इसे खारिज किया जाता है। नतीजतन, याचिका भी खारिज कर दी जाती है।

8. संबंधित ट्रिब्यूनल को वैधानिक राशि प्रेषित की जाए।

**(लोक पाल सिंह, जज)**

25.09.2018

बलवंत